उच्च शिक्षा एवं अन्य विभागों की हितग्राही योजनाएँ

1. **गॉव की बेटी योजना**– गॉव की पाठशाला से प्रथम श्रेणी में 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं के लिए, 5,000/– की प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष।
2. **प्रतिभा किरण योजना**– शहर की पाठशाला से प्रथम श्रेणी में 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण एवं बी.पी.एल. कार्डधारी छात्राओं के लिए, 5,000/– की प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष।
3. **मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें**–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1,500/– की पुस्तकें तथा रू. 500/–की स्टेशनरी प्रदान की जाती है।
4. **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति**– अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतुपोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में छात्रावासी को 570/–प्रतिमाह, गैर छात्रावासी को 300/–प्रतिमाह, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावासी को 400/–एवं गैर छात्रावासी को 230/– प्रतिमाह एवं अनिवार्य शुल्क एवं गैर वापसी शुल्क की प्रतिपूर्ति।
5. **शोध छात्रवृत्ति**–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु शोध छात्रवृत्ति –16,000/– प्रति माह तीन वर्ष तक।
6. **आवास योजना**– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ग्रुप में 02 विद्यार्थियों/1000 रूपये प्रतिछात्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवास भत्ता संभाग स्तर पर 2000/–, जिला स्तर पर 1250/–तहसील स्तर पर 1000/– प्रतिमाह।
7. **शोध छात्रवृत्ति (दिव्यांग विद्यार्थी)**– दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति 16000/– प्रति माह तीन वर्ष तक (10 छात्रों को प्रतिवर्ष)
8. **निःशक्तजन विद्यार्थियों के लिये योजना**–निःशक्तजन विद्यार्थियोंको कम्प्यूटर एवं प्रबंध शिक्षा हेतु जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता योजना कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में ली जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति के साथ संभाग स्तर पर 1500/– प्रतिमाह निर्वाह भत्ता नगर निगम क्षेत्र में 500/– एवं निगम पब्लिक स्तर पर 300/– परिवहन भत्ता प्रतिमाह।

09. **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना** MMVY –मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सभी वर्गों के लिए हैं। पिता/पालक की वार्षिक आय 06 लाख से कम। 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत, सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

10. **मुख्यमंत्री विद्यार्थी जनकल्याण** MMVJKY–मुख्यमंत्री विद्यार्थी जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गतमध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो।सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए, जो स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करते है तो उनका शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन, किया जायेगा।

11. **विदेश में उच्च शिक्षा**–विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर एवं पी–एच.डी. उपाधि हेतु छात्रवृत्ति योजना।अधिकतम राशि 40,000 डॉलर प्रतिवर्ष एवं अधिकतम 02 वर्ष तक।

12.**अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति**–अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली मेरिट कम–मीन्स छात्रवृत्ति। छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए 1000/– एवं गैर छात्रावासी के लिए 500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह तक अनुरक्षण भत्ता एवं पाठ्यक्रम शुल्क में वास्तविक अथवा 20,000/– जो भी कम की प्रतिपूर्ति।

13.**सेन्ट्रल सेक्टर**– मेधावी विद्यार्थियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 10,000/– प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

14.**सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोंचिग की योजना**–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग/मध्यप्रदेशलोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित कोंचिग संस्थान से कोंचिग की योजना में प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिए शिष्यवृत्ति 12500/– हिन्दी माध्यम से 1.25 लाख अंग्रेजी माध्यम से 1.50 लाख पुस्तक हेतु 15000/– 12 माह का प्रशिक्षण। साक्षात्कार के लिए 12,500/–छात्रवृत्ति एक माह हेतु। कोंचिग शुल्क 20,000/– अधिकतम।

15.**सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना**–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हेतु 40,000/– एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु 20,000/–तथासंघ लोक सेवा आयोग कीमुख्य परीक्षा हेतु 60,000/– एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु 30,000/– अधिकतम।

16.**विज्ञान एवं सामाजिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन योजना**– जनजातीय विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं सामाजिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि 3000/– दी जाती है।

(समस्त योजनाओं के नियमों की जानकारी लेने के उपरांत ही संबंधित योजना में आवेदन करें।)